Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

निगरानी / टी.ए. / 11334 / 2002 / जयपुर

भवरिया पुत्र घासी जाति जाट नि0बुद्धसिंहपुरा तह0सांगानेर जयपुर (फोत) के का.मु.–

1. श्योजीराम पुत्र भवरिया
2. शंकर पुत्र भवरिया
3. सुखदेव पुत्र भवरिया
4. ज्याना पुत्री भवरिया पत्नी नारायण
5. राधा पुत्री भवरिया पत्नी गुल्लाराम
6. कल्याणी पुत्री भवरिया पत्नी रामनारायण
7. मु0तीजा बेवा भवरिया

...प्रार्थीगण

बनाम

1. कला प्रसाद शर्मा पुत्र भगवती प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कान्नीजी का मंदिर मिनर्वा सिनेमा की पीछे जयपुर
2. रामगोपाल पुत्र देवीनारायण श्रीमाल निवासी मकान नंबर 1107 श्रीमाल भवन रावत जी का बाजार गंगापोल जयपुर
3. मदन खण्डेलवाल निवासी प्लाट नंबर सी–3 सी स्कीम चौमूं सर्किल पास जयपुर
4. राधेश्याम पुत्र चतुर्भुज श्रीमाल निवासी कावरियों की पीपली मस्जिद के पीछे रामगंज बाजार जयपुर
5. श्रीमती मनु दाधिच पत्नी शंकर दाधिच निवासी मकान नंबर 7 / 125 विधाधर नगर जयपुर
6. सरोज शर्मा पत्नी के.सी.शर्मा निवासी सी 136 ए माथुरकालिन चित्रगुप्त मार्ग बापूनगर जयपुर
7. सुरेशचन्द जैन पुत्र भौरीलाल जैन निवासी मकान नंबर 769 किशनपोल बाजार जयपुर
8. श्री लालराम पुत्र भवरिया जाति जाट निवासी बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री जी0 बाढदार, अभिभाषक प्रार्थी
श्री हेमंत सौगानी, अभिभषक अप्रार्थी

दिनांक 16.2.2018

निर्णय

यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपील संख्या 117 / 2000 में पारित निर्णय दिनांक 5–10–2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी भंवरिया द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30–5–2000 द्वारा प्रार्थी के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 5–10–2002 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

3. दोनों पक्षों को सुना गया। प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक विनिश्चय 1998 आरआरडी 529 का आदरपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि जो विवादित भूमि है उसके संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के सक्षम प्राधिकृत अधिकारी ने खातेदार के खातेदारी अधिकारों का प्रवर्सन करके भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में निहित किये जाने का आदेश पारित कर दिया है। यद्यपि प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील रही है कि उनके पक्षकार ने इस आदेश के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित कर रखी है किन्तु इस बाबत कोई स्थगन आदेश जारी हुआ हो या कोई प्रभावी आदेश उनके पक्ष में जारी हुआ हो, ऐसी स्थिति प्रथमदृष्ट्या प्रकट नहीं की गई है। तो उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कि भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में निहित हो चुकी है तो प्रार्थी का यह कथन कि विवादित आराजी को प्रार्थी वर्षो से काश्त करके उपयोग व उपभोग करके आ रहा है एवं राज्य सरकार में लगान अदा करता आ रहा है तथा भूमि को काश्त करता है, यह स्थिति प्रथमदृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं मानी जा सकती।

5. अतः मेरा यह मानना है कि राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के द्वारा जो आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, वह सही है एवं उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रार्थी पक्ष की ओर से जो सम्मानित न्यायिक विनिश्चय पेश किया गया है, तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रार्थी पक्ष उससे कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

6. परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 5–10–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य